भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4337

दिनांक 19 अगस्त, 2025

आईसीएआर की दक्षता और जवाबदेही

4337. श्री परषोत्तमभाई रूपाला :

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओंटारियो (कनाडा), तंजानिया, मॉरीशस और सिएरा लियोन के कानूनों का आकलन करने के लिए पूर्व में प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन के संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ख) क्या इस कानून का उद्देश्य कृषि अनुसंधान गतिविधियों और जवाबदेही की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाना है, ताकि व्यापक समीक्षा के बाद, आईसीएआर की दक्षता और जवाबदेही में सुधार के लिए हमारे देश में प्रासंगिक बिंदुओं को लागू किया जा सके, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार आईसीएआर की दक्षता और जवाबदेही को और बढ़ाने के लिए विशिष्ट कानून लाने पर विचार कर रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) : सरकार ने अभ्यावेदन को संज्ञान में लिया है। निरंतर बढ़ती चुनौतियों के समाधान और भारतीय कृषि को अधिक अनुकूलनशील, लाभप्रद और टिकाऊ बनाने के लिए नीति आयोग ने कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक व्यापक विज़न को निरूपित किया है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्यों के अनुरूप है। तदनुसार, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने इस राष्ट्रीय विज़न के अनुरूप रणनीतिक रूप से अपनी अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार प्रणालियों को बनाया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद लगभग एक शताब्दी पुरानी संस्था है, जो कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा में विश्व के विशालतम नैटवर्कों में से एक है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय प्रगति के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है और भारत को कृषि जिंसों के एक शुद्ध निर्यातक के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

(ख) : भारत में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र शामिल हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के विकास, हस्तांतरण और वाणिज्यीकरण में निजी क्षेत्रों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास में संलग्न है।

सरकार समय-समय पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की योजनाओं का बाह्य मूल्यांकन करवाती है ताकि उसके अनुसंधान कार्यक्रमों का आकलन किया जा सके और अनुसंधान दक्षता एवं प्रभावकारिता में सुधार के लिए उपायों की अनुशंसा की जा सके। अभी हाल में ऐसा मूल्यांकन वर्ष 2020-21 के दौरान किया गया था, जिसमें वर्ष 2017-2020 की अवधि में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कार्यान्वित की गईं योजनाएं शामिल थीं।

(ग): सरकार का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए इस प्रकार के कानून (लेजिस्लेशन) को लाने का विचार नहीं है।

****